अनुसूची-१४ –फारम स० ५६१

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 20/2012

दुर्गा ओझा

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर, छपरा।)

आदेश का क्रम–सख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे पेशी, तारीख–सहित
09.04.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 348/आ0 दिनांक 03.03.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.2011 को श्री अरविन्द कुमार, जिला प्रभारी मध्यान भोजन योजना, सारण के द्वारा 10.40 बजे पूर्वाहन में दुर्गा ओझा, ज0वि0प्र0वि0, अनु0 स0 58/07,पंचायत धनगड़हा, प्रखंड वनियापुर के दूकान की जॉच की गई। जॉच के कम मे, निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– 1.निरीक्षण के समय दूकान बंद पाई गई एवं विकेता अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण दूकान से संबंधित पंजियों की जॉच नहीं की जा सकी। 2.विकेता के संबंधी के द्वारा उपभोक्ताओं को बयान देने से रोका गया। 3.कतिपय उपभोक्ताओं के द्वारा वताया गया कि विकेता के द्वारा अनियमित रूप से सामग्रियो की आपूर्ति की जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 76 दिनांक 04.01.12 के द्वारा उक्त अनियमितताओं के लिए कारण पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाव को असंताषजनक पा कर विकेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विकेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है। सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जॉच की तिथि को अपीलार्थी ...	

जिस समय जॉच पदाधिकारी आए, जिस वजह से जॉच अधिकारी से विकेता की भेंट नहीं हो सकी। शौच से निवृत हो कर आने पर ज्ञात हुआ कि कोई जॉच पदाधिकारी आए थें।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि उनकी दूकान पर कोई भी उनका संबंधी नही था, जिसके द्वारा किसी उपभोक्ता को बयान देने से रोका गया। सभंव है कि उनसे द्वेष रखने वाल किसी ग्रामीण के द्वारा शिकायत की गई हो, लेकिन उनकी दूकान से संबद्ध किसी भी उपभोक्ता के द्वारा कोई शिकायत नही की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि जॉच की तिथि के पूर्व विकेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के बीच नियमानुसार सभी सामग्री का वितरण किया जा चुका था। भंडार अवशेष शून्य था। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा में या आदेश में कहीं भी विकेता के विरूद्ध आरोप लगाने वाले उपभोक्ता के संबंध में स्पष्ट विवरणी अंकित नहीं की गई है। इस तरह, लगाया गया आरोप अपने आप में अस्पष्ट है।

विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षो को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि निरीक्षण प्रतिवेदन में जॉच पदाधिकारी के द्वारा जॉच का समय 10.40 बजे पूर्वाहन अंकित किया गया है, जबकि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा एवं आदेश में जॉच का समय 1.40 बजे अपराह्न अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। जॉच की तिथि को भंडार के शून्य रहने की बात विकेता के द्वारा समर्पित कागजातों से सिद्ध होती है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कहीं भी अपने कारण पृच्छा में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि किस उपभोक्ता के द्वारा विकेता के विरूद्ध शिकायत की गई। क्या वे उसकी दूकान से संबद्ध थें ? अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में किसी अनियमितता के पाए जाने तथा इसके संबंध में पुनः पूरक कारण पृच्छा

किए जाने का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह, अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए इसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

09/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

09/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 226 /न्या० दिनांक 10/4/15

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - DIO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
10/4/15